

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

बाबू जहीरुदीन

सुगनाराम वगैरह

प्रकरण : रा.प्रा.पत्र

मुकदमा नं.-

02/15

रेख म	हुकम या कार्यवाही इनिषिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
1.15	<p>प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.02.2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>जज/पञ्चकारान क अधिवक्ता 25/2/15 गोटासीन प्रार्थना पत्र को पिटिंग में/अवकाश प्रकार प्रकरण समक समय दिनांक 25/2/15 को पेश करेंगे</p> <p>जज/पञ्चकारान क अधिवक्ता 25/2/15 गोटासीन प्रार्थना पत्र को पिटिंग में/अवकाश प्रकार प्रकरण समक समय दिनांक 25/2/15 को पेश करेंगे</p> <p>जज/पञ्चकारान क अधिवक्ता 2/6/15 गोटासीन प्रार्थना पत्र को पिटिंग में/अवकाश प्रकार प्रकरण समक समय दिनांक 2/6/15 को पेश करेंगे</p> <p>जज/पञ्चकारान क अधिवक्ता 2/6/15 गोटासीन प्रार्थना पत्र को पिटिंग में/अवकाश प्रकार प्रकरण समक समय दिनांक 2/6/15 को पेश करेंगे</p> <p>15/9/15, वकील कादी उपरी अप्रार्थीगणों के सम्मन करने के इन्तजारे के दिनांक 18/11/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>जज/पञ्चकारान क अधिवक्ता 2/11/15 गोटासीन प्रार्थना पत्र को पिटिंग में/अवकाश प्रकार प्रकरण समक समय दिनांक 2/11/15 को पेश करेंगे</p>	

FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)
(नियम 28)

.....बनाम.....
किस्म.....
संख्या..... वर्ष.....

	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
2/18	<p>वहुल प्राप्ति उपाय बहुल प्राप्ति को सिद्धांत से जाती है कि आगामी तारीख पेशी तक नोटिस तलबाना पेश करे। तलबी हेतु अनितम अवसर उपान दिना जाता है पत्रावली दि 26-2-18 को पेश हो।</p>	
2/18	<p>पत्रावली पेश हुई। अप्राप्ति का के लिये हेतु नोटिस तलबाना पेश करने के लिये वकील प्राप्ति व प्राप्ति का के कार-2 आवेग ले जायी गयी परन्तु वावजूद भी उपलब्ध नहीं हुआ तलबी के लिये वकील प्राप्ति व प्राप्ति का के तीन वर्ष का समय दिया जा चुका है इतना समय देने के उपराल भी नोटिस तलबाना पेश नहीं किया है इसलिए प्राप्ति का प्राप्ति का अदम परकी व अदम हाजरी में शरीज दिया जाता है पत्रावली नम्बर के कम अंक पर दफ्तर दाखिल हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नागौर, जिला नागौर